19

A-4/1

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 122/2020

सोमदत्त पुत्र सुनील कुमार, जाति कुम्हार, निवासी वार्ड न0 34, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

–– अपीलान्ट

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. बलबीर सिंह पुत्र वेदपाल, जाति जाट, निवासी वार्ड न0 34, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)

–– रेस्पोडेन्ट

एवं

अपील संख्या 123/2020

मंजू देवी पत्नि सुनील कुमार, जाति कुम्हार, निवासी वार्ड न0 34, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

–– अपीलान्ट

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. बलबीर सिंह पुत्र वेदपाल, जाति जाट, निवासी वार्ड न0 34, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)

–– रेस्पोडेन्ट

एवं

अपील संख्या 124/2020

सुनील कुमार पुत्र बनवारी लाल, जाति कुम्हार, निवासी वार्ड न0 34, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

–– अपीलान्ट

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. बलबीर सिंह पुत्र वेदपाल, जाति जाट, निवासी वार्ड न0 34, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)

–– रेस्पोडेन्ट

एवं

अपील संख्या 125/2020

मीना वर्मा पत्नि मनीष कुमार, जाति कुम्हार, निवासी वार्ड न0 34, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

–– अपीलान्ट

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. बलबीर सिंह पुत्र वेदपाल, जाति जाट, निवासी वार्ड न0 34, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)

–– रेस्पोडेन्ट

जिला कलेक्टर झुंझुनूं

छाया प्रति प्रमाणित
कार्यालय अधीक्षक
कलेक्ट्रेट,झुन्झुनूं

A-4/2

एवं

अपील संख्या 126/2020

सतीश कुमार पुत्र सुनील कुमार, जाति कुम्हार, निवासी वार्ड न0 34, चिड़ावा, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) चिड़ावा, जिला झुंझुनूं।
2. बलबीर सिंह पुत्र वेदपाल, जाति जाट, निवासी वार्ड न0 34, चिड़ावा, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (राज0)

—— रेस्पोडेन्ट

एवं

अपील संख्या 127/2020

सुशीला पत्नि अशोक कुमार, जाति कुम्हार, निवासी वार्ड न0 34, चिड़ावा, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) चिड़ावा, जिला झुंझुनूं।
2. बलबीर सिंह पुत्र वेदपाल, जाति जाट, निवासी वार्ड न0 34, चिड़ावा, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (राज0)

—— रेस्पोडेन्ट

एवं

अपील संख्या 128/2020

गौरा देवी पत्नि बनवारी लाल, जाति कुम्हार, निवासी वार्ड न0 34, चिड़ावा, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) चिड़ावा, जिला झुंझुनूं।
2. बलबीर सिंह पुत्र वेदपाल, जाति जाट, निवासी वार्ड न0 34, चिड़ावा, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (राज0)

—— रेस्पोडेन्ट

एवं

अपील संख्या 129/2020

मनीष कुमार पुत्र सुनील कुमार, जाति कुम्हार, निवासी वार्ड न0 34, चिड़ावा, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) चिड़ावा, जिला झुंझुनूं।
2. बलबीर सिंह पुत्र वेदपाल, जाति जाट, निवासी वार्ड न0 34, चिड़ावा, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (राज0)

—— रेस्पोडेन्ट

एवं

जिला कलेक्टर झुन्झुनूं

छाया प्रति प्रमाणित
कार्यालय अधीक्षक
कलेक्ट्रेट, झुन्झुनूं

A-4/3

अपील संख्या 130 / 2020

अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल, जाति कुम्हार, निवासी वार्ड न0 34, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. बलबीर सिंह पुत्र वेदपाल, जाति जाट, निवासी वार्ड न0 34, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)

—— रेस्पोडेन्ट

एवं

अपील संख्या 131 / 2020

सुप्रिया पत्नि सतीश कुमार, जाति कुम्हार, निवासी वार्ड न0 34, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. बलबीर सिंह पुत्र वेदपाल, जाति जाट, निवासी वार्ड न0 34, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)

—— रेस्पोडेन्ट

——

अपील अ0धा0 17 बी The RajasthanMunicipalties Registration of Rlectires 1974 खिलाफ आदेश दिनांक 20.07.2020 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी नगर पालिका चिडावा एवं एस0डी0एम0 चिड़ावा बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 का नाम नगरपालिका चिडावा के वार्ड नम्बर 34 की मतदाता सूची मे नाम जोडने के विरूद्व अपील।

——

उपस्थित

1. मो0 खादिम, एडवोकेट— अपीलांट की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से
3. श्री वीरेन्द्र सिंह, एडवोकेट— रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से

आदेश

दिनांक 16.09.2020

17

उक्त विषयक अपीले विद्वान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) चिडावा के आदेश दिनांक 20.07.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपीले एक ही वार्ड, एक ही स्थान एवं एक ही परिवार की होने के कारण एक साथ सुनवाई पर ली गई। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्ट के अनुसार इस प्रकार है कि अपीलान्ट वार्ड नम्बर 34 के मूल निवासी है एवं वार्ड नम्बर 34 मे ही अपीलान्ट के मकानात है। वार्ड नम्बर 34 पूर्व मे 25 था एवं इससे पूर्व 6 था जो कि वर्तमान मे 34 है। इसी वार्ड के अपीलान्ट के समस्त दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, चुनाव पहचान पत्र एवं परिवारजन के नाम के विघुत व पानी के बिल भी इसी वार्ड के है जो रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के समक्ष आक्षेपकर्ता के द्वारा आक्षेप प्रस्तुत करने पर प्रस्तुत किया गया थे। अपीलान्ट के वार्ड नम्बर 35 मे किसी प्रकार के कोई आवास नही है किन्तु

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

छाया प्रति प्रमाणित
कार्यालय अधीक्षक
कलेक्ट्रेट,झुन्झुनूं

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान [illegible] प्रत्यार्थी की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट का नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड [illegible] मतदाता सूची से गलत रूप से हटा दिये गये हैं। वार्ड न0 34 पहले वार्ड न0 12 था फिर वार्ड न0 6 बना और अब वार्ड न0 34 है। अपीलान्ट्स वार्ड न0 34 मे ही निवास करते है। अपीलान्ट के दस्तावेज भी पूर्व वार्ड न0 12 व 6 के ही है। बी0एल0ओ0 ने साज कर वार्ड न0 34 से नाम हटाने की रिपोर्ट की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट्स के नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नम्बर 35 की मतदाता सूची के कमांक कमशः 236, 239, 234, 259, 235, 238, 233, 237, 240, 258 हटाये जाकर वार्ड न0 34 मे जोडे जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक (वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1) ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद नही है। अपीलान्ट को आदेश के 15 दिवस मे ही अपनी अपील पेश करनी चाहिए थी। अपीलान्ट अदालत मातहत के जिस आदेश दिनांक के विरूद्व अपील मे आया है वह दिनांक 20.07.2020 न होकर 07.07.2020 है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट के मकान वार्ड न0 35 मे ही है। अपीलान्ट वार्ड न0 35 मे ही निवास करते है। अदालत मातहत का निर्णय उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलान्ट्स के नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नम्बर 35 की मतदाता सूची के कमांक कमशः 236, 239, 234, 259, 235, 238, 233, 237, 240, 258 मे यथावत रखे जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपीले एक ही वार्ड, एक ही स्थान एवं एक ही परिवार की होने के कारण एक साथ निर्णित की जाती है। अपीलों का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किये जाते है। अपीलें जिस आदेश के विरूद्व पेश की गई है वह आदेश ही अस्तित्व मे नही है। तहसीलदार चिडावा की रिपोर्ट के अनुसार रेस्पो0 सं0 2 नगर पालिका चिडावा के वार्ड न0 35 मे ही निवास करते है। ऐसी स्थिति मे अदालत मातहत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0) चिडावा द्वारा पारित आदेश उचित है। अतः अपीलों का निर्णय मैरिट के आधार पर किया जाकर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है एवं अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जाता है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 16.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17

17/09/

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुंझुनू

छाया प्रति प्रमाणित
कार्यालय अधीक्षक
कलेक्ट्रेट, झुन्झुनूं

A-4
4

बी0एल0ओ0 द्वारा रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 से सांठगांठ कर झूठी रिपोर्ट पेश की गई कि अपीलान्ट वार्ड नम्बर 35 मे निवास करते है। जबकि अपीलान्ट वार्ड नम्बर 34 मे ही अपने आवासीय मकान मे मय परिवार रहते है अतः अपील मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरामाई जाकर रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के नाम नगरपालिका चिडावा के वार्ड नम्बर 34 की निर्वाचन नामावली 2020 के क्रम संख्या क्रमशः 236, 239, 234, 259, 235, 238, 233, 237, 240, 258 से हटाये गये है को वार्ड नम्बर 34 मे जोडा जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट का नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड न0 34 की मतदाता सूची से गलत रूप से हटा दिये गये है। वार्ड न0 34 पहले वार्ड न0 12 था फिर वार्ड न0 6 बना और अब वार्ड न0 34 है। अपीलान्ट्स वार्ड न0 34 मे ही निवास करते है। अपीलान्ट के दस्तावेज भी पूर्व वार्ड न0 12 व 6 के ही है। बी0एल0ओ0 ने साज कर वार्ड न0 34 से नाम हटाने की रिपोर्ट की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट्स के नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नम्बर 35 की मतदाता सूची के क्रमांक क्रमशः 236, 239, 234, 259, 235, 238, 233, 237, 240, 258 हटाये जाकर वार्ड न0 34 मे जोडे जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक (वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1) ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद नही है। अपीलान्ट को आदेश के 15 दिवस मे ही अपनी अपील पेश करनी चाहिए थी। अपीलान्ट अदालत मातहत के जिस आदेश दिनांक के विरूद्व अपील मे आया है वह दिनांक 20.07.2020 न होकर 07.07.2020 है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट के मकान वार्ड न0 35 मे ही है। अपीलान्ट वार्ड न0 35 मे ही निवास करते है। अदालत मातहत का निर्णय उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलान्ट्स के नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नम्बर 35 की मतदाता सूची के क्रमांक क्रमशः 236, 239, 234, 259, 235, 238, 233, 237, 240, 258 मे यथावत रखे जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपीले एक ही वार्ड, एक ही स्थान एवं एक ही परिवार की होने के कारण एक साथ निर्णित की जाती है। अपीलों का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किये जाते है। अपीलें जिस आदेश के विरूद्व पेश की गई है वह आदेश ही अस्तित्व मे नही है। तहसीलदार चिडावा की रिपोर्ट के अनुसार रेस्पो0 सं0 2 नगर पालिका चिडावा के वार्ड न0 35 मे ही निवास करते है। ऐसी स्थिति मे अदालत मातहत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0) चिडावा द्वारा पारित आदेश उचित है। अतः अपीलों का निर्णय मैरिट के आधार पर किया जाकर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है एवं अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जाता है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 16.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/09/-

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुंझुनू

छाया प्रति प्रमाणित
कार्यालय अधीक्षक
कलेक्ट्रेट, झुन्झुनूं